

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर-प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्या: 11/2018

रामू लाल शर्मा पुत्र स्व. श्री भौरीलाल शर्मा, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम दूधली, तहसील बस्सी, जिला जयपुर (राज.)।

.....अपीलांत

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी, जिला जयपुर।

..... रेस्पाडेन्ट

अपील धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 नामान्तरण संख्या 182 दिनांक 15.02.1983 ग्राम श्यामपुरा पटवार हल्का मोहनपुरा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर में रामजीलाल पुत्र स्व. श्री भौरीलाल की जगह रामूलाल पुत्र स्व. भौरीलाल का नाम दुरुस्ती करवाने के संबंध में।



निर्णय

दिनांक: 31.05.2018

अपीलांत ने यह अपील तहसीलदार, बस्सी जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 15.02.1983 जिसके द्वारा नामान्तरण संख्या 182 स्वीकार हुआ है जिसमें अपीलांत का नाम सहबन से रामूलाल पुत्र स्व. भौरीलाल के स्थान पर रामजीलाल स्व. भौरीलाल दर्ज कर दिये जाने से असंतुष्ट होकर दिनांक 03.04.2018 को मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरण तलब करने के आदेश दिये गये। नोटिस जारी करने पर रेस्पाडेन्ट संख्या 1 की ओर से परोकार सरकार उपस्थित। तहसीलदार बस्सी द्वारा पत्रांक 134 दिनांक 15.05.2018 से वांछित नामान्तरण की प्रमाणित छायाप्रति प्राप्त हुई जो शामिल मिसल किए गए। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस उपस्थित उभय पक्ष अभिभाषक सुनी गई।

वकील अपीलांत द्वारा दौरान बहस अपीलान्त का राशन कार्ड की छायाप्रति, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पास बुक एवं पुलिस आई.डी. कार्ड की छायाप्रति पेश की गयी। छायाप्रतियां शामिल मिसल की गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांत ने आगे कथन किया कि नामान्तरण संख्या 182 में वर्णित ग्राम श्यामपुरा, तहसील बस्सी स्थित कृषि भूमि अपीलान्त की पैतृक खातेदारी भूमि है। अपीलान्त व उसके भाईयों को उपरोक्त वर्णित भूमि अपने पिता स्व. श्री भौरीलाल की विरासत में प्राप्त हुई है। अपीलांत के पिता की मृत्यु के बाद उनके वारिसान पुत्रों रामूलाल, मोहनलाल पुत्र स्व. भौरीलाल के नाम दुरुस्ती इन्द्राज मुताबिक एसीएम द्वितीय के आदेश दिनांक 15.02.1983 के आधार पर तहसीलदार बस्सी द्वारा तस्दीक किया गया। अपीलाधीन नामान्तरण में गलती से अपीलान्त को उसके घर पर बोलने वाला नाम रामजीलाल दर्ज करवा दिया गया। जबकि अपीलान्त के समस्त दस्तावेजों आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पुलिस आई.डी., आदि में अपीलान्त का नाम रामूलाल पुत्र स्व. भौरीलाल ही है। अपीलाधीन नामान्तरण के आधार पर अपीलांत का नाम जमाबन्दी में भी रामजीलाल


अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)


अंकित हो गया। अपीलान्त को ग्राम श्यामपुरा में रामजीलाल के नाम से जाना जाता है जबकि अपीलान्त का सरकारी रिकार्डेड नाम रामूलाल है। चूंकि अपीलान्त एक ग्रामीण परिवेश का काश्तकार है तथा पुलिस सेवा में कार्यरत होने से नामान्तरण तस्दीक होते समय ग्राम में मौजूद नहीं था एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किये गये अपीलाधीन नामान्तरण में नाम की ही त्रुटि है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 182 दिनांक 15.02.1983 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार बस्सी को अपीलाधीन नामान्तरण में अपीलान्त का नाम रामजीलाल पुत्र स्व. भौरीलाल की जगह रामूलाल पुत्र स्व. भौरीलाल अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड को सही करवाने की कृपा करें।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरण विधिपूर्वक व न्यायसंगत है तथा नियमों की पालना करते हुए ही खोला गया है इसमें केवल त्रुटिवश अपीलांत का नाम गलती से रामूलाल के स्थान पर रामजीलाल दर्ज किया गया है जिसमें शुद्धि हेतु पैरोकार सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट एवं पैरोकार सरकार की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली में उपलब्ध नामान्तरण की प्रमाणित छायाप्रति का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। साथ ही अपीलाण्ट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर भी गौर किया गया। अपीलाधीन नामान्तरण एसीएम द्वितीय के आदेश दिनांक 15.02.1983 के आधार पर तहसीलदार बस्सी द्वारा अपीलांत एवं उसके भाई बंधुओं के नाम तस्दीक किया गया। अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 182 ग्राम श्यामपुरा, तहसील बस्सी के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन नामान्तरण अपीलांत व उसके भाई बंधुओं की पैतृक भूमि का नामान्तरण अपीलांत व उसके भाईयों के नाम पर खोला गया। जिसमें अपीलान्त का नाम सहबन से रामजीलाल अंकित किया गया है जबकि अपीलान्त का सरकारी रिकार्डेड नाम रामूलाल है।

अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर तहसीलदार बस्सी को निर्देशित किया जाता है कि नामान्तरण संख्या 182 निर्णित दिनांक 15.02.1983 ग्राम श्यामपुरा तहसील बस्सी में अंकित रामजीलाल के स्थान पर रामूलाल दर्ज किया जावे। शेष इन्द्रजात यथावत रखे जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार बस्सी को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।


(डॉ. मोहन लाल यादव)
अधिसिक्त लिक्वटर प्रथम
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट-प्रथम
जयपुर
कलकट, जयपुर